# समाहरणालय, अरवल।
## (कल्याण प्रशाखा)
## (नामांकन सूचना संख्या–01/2026–27)

**जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, अरवल में नामांकन हेतु विज्ञापन**

प्रवेशिका उत्तीर्ण अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आवासन एवं अन्यान्य सुविधा प्रदान किए जाने हेतु अरवल जिला अन्तर्गत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, जिनपुरा, अरवल में छात्रों को आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अरवल जिले में अवस्थित छात्रावास की विवरणी निम्नवत है–

| क्र0 | छात्रावास का नाम | कोटि | आवासन क्षमता | रिक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, अरवल। | अति पिछड़ा वर्ग **(5% दिव्यांगों के लिए आरक्षित)** | 100 | 74 |

छात्रावास में उनके आवासन क्षमता एवं रिक्त स्थानों के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन पत्र **दिनांक– 02.05.2026 से 25.05.2026 तक** आमंत्रित किया जाता है।

**नामांकन की शर्तेः–**

1. आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के छात्र हो।
2. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
3. अर्हता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्र को प्राथमिकता दी जायेगी एवं समान प्राप्तांक होने की स्थिति में निम्न आय वाले अभिभावक के बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी।

**आवेदन की प्रक्रियाः–**

1. संबंधित छात्र अध्ययनरत् संस्थान से दस्तावेज अग्रसारित कराने के उपरांत ही ऑनलाईन पोर्टल **https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/default.aspx** पर आवेदन करने के पश्चात् हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा :–
   - (i) आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो दो प्रति में।
   - (ii) आवेदक का जाति, आय एवं निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   - (iii) अरवल जिला स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन का साक्ष्य की छायाप्रति।
   - (iv) विगत परीक्षा के अंक पत्र की छायाप्रति।
   - (v) आधार कार्ड/बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित)।
   - (vi) छात्रावास में रैगिंग नहीं करने का शपथ–पत्र।
   - (vii) अभिभावक एवं छात्र के द्वारा इस आशय का एक संयुक्त शपथ पत्र नामांकन के समय जमा करना होगा कि सत्र समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर छात्रावास खाली कर दिया जाएगा।

ह0/–

उप विकास आयुक्त,
अरवल।